

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10198 / 5219

दिनांक :- 18-02-2019

कार्यालय आदेश

श्री विक्रम कुमावत [लिंक न. 10198] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, उदयपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 26/02/2018 से 09/03/2018 तक 12 दिवस

कुल 12 दिवस

उक्त कुल 12 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री विक्रम कुमावत की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही श्री विक्रम कुमावत को दिनांक 24-02-2018, 25-02-2018, 10-03-2018, 11-03-2018 के राजकीय अवकाश उपभोग की स्वीकृति दी जाती है।

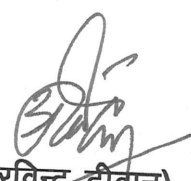
1-8
(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10198 / 5219

दिनांक :- 18-02-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, उदयपुर
2. कोषाधिकारी उदयपुर
3. श्री विक्रम कुमावत [10198] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, उदयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)